# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 793/2024**

हजारी लाल बैरवा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव–द्वितीय, पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा, जिला दौसा।
4. हरी राम मीणा, अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बसवा, जिला दौसा।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 26.02.2024

**आदेश की दिनांक** : 22.08.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री बनवारी लाल शर्मा, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री आर.के.निगम, राजकीय अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से** : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निरंतर यथा स्थान सेवायें देने हेतु आदेशित किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक के पद पर आदेश दिनांक 10.03.1997 के द्वारा हुई थी और उसे सहायक खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा पंचायत समिति, बसवा में पदस्थापित किया गया, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति, बसवा से पंचायत समिति बामनवास, सवाई माधोपुर किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से पदस्थापित किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निरंतर यथा स्थान सेवायें देने हेतु आदेशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है और किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। माननीय अधिकरण द्वारा विवादग्रस्त आदेश दिनांक 20.02.2024 की क्रियान्विति पर स्थगन आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण वर्तमान में एक पद के विरूद्ध दो कार्मिक कार्यरत हैं। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जनहित को ध्यान में रखते हुये किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.बंधुवा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक एआईआर 1986 पेज नं. 237 एवं सीजीएन बनाम राजेन्द्र व अन्य एआईआर 1995 पेज नं. 813 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि नियोक्ता को यह अधिकार है कि कर्मचारी की जरूरत के अनुसार प्रशासन को चुस्त एवं दुरूस्त करने के लिये पदस्थापित कर सकता है और लोक सेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक के पद पर आदेश दिनांक 10.03.1997 के द्वारा हुई थी और उसे सहायक खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी अक्टूबर, 2021 से पंचायत समिति, बसवा में ही पदस्थापित है और पदोन्नति उपरांत उसे आदेश दिनांक 10.02.2023 के द्वारा अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उसे पंचायत समिति, बसवा में ही पदस्थापित किया गया है परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा उसे पंचायत समिति, बामनवास, सवाई माधोपुर स्थानान्तरित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के आशय से पदस्थापित किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अजय कुमार शर्मा वाले मामले में भी किसी कार्मिक को स्थानान्तरण के संबंध में निजी लाभ पहुंचाने के आधार पर कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं माना है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित किया गया है, जो उक्त विधि के विरूद्ध है, जिसके संबंध में अधिकरण द्वारा दिनांक 11.03.2024 को स्थगन आदेश जारी करते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के संबंध में स्थगित किया गया है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.03.2024 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

| | |
|---|---|
| **(शुचि शर्मा)**<br>**सदस्य** | **(अनन्त भंडारी)**<br>**सदस्य (न्यायिक)** |